न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : – हंसमुख कुमार RAS

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 49/205

प्रार्थी : –

1. मदनलाल पुत्र श्री मोडाराम, जाति प्रजापत (कुम्हार), निवासी ढण्ढ की ढाणियां, झालामण्ड चौराहा, तहसील व जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण : –

1. गुदाराम पुत्र स्व. श्री पेमाराम,
2. श्रवणराम पुत्र स्व. पेमाराम,
3. श्रीमती पारूदेवी पत्नी स्व. श्री पेमाराम,
4. अंजु देवी पत्नी श्री फुसाराम उर्फ परसराम,
5. राजुराम पुत्र स्व. श्री फुसाराम उर्फ परसराम, सभी जातियान् कुम्हार (प्रजापति), निवासीगण ढण्ढ की ढाणियां, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
6. किशोरलाल पुत्र श्री जवरीलाल, जाति– प्रजापत, निवासी ढण्ढ की ढाणियां, झालामण्ड, तहसील व जिला जोधपुर
7. चैनाराम पुत्र श्री पन्नालाल, जाति– कुम्हार (प्रजापति), निवासी– ढण्ढ की ढाणी, झालामण्ड चौराहा, जोधपुर
8. जावताराम पुत्र श्री चिमनाराम, जाति विश्नोई, निवासी 97, करनी नगर, कुडी भगतासनी, जोधपुर
9. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

———

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : –

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री औंकार सिंह।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री हरिसिंह राजपुरोहित।

दिनांक : – 02-6-2026

– : निर्णय : –

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम निम्बला, पटवार हल्का कांकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 143 रकबा 3.2699 हैक्टेयर प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 08 की सामलाती खातेदारी की भूमि आई हुई है, जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा स्वयं तथा 1/8 हिस्सा अपनी माताजी श्रीमती गवरी पत्नी श्री मोडाराम के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त हुआ तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण की राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार आया हुआ है। उपर्युक्त खसरान् की कृषि भूमि के बाबत् प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 08 के मध्य आज दिनांक तक किसी प्रकार का मौखिक या लिखित कोई बंटवाडा निष्पादित किया हुआ नही है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 से 08 पूर्व में काबिज अनुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि में काबिज होकर काश्त कर रहे है। पूर्व में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद के साथ ही स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया था, जो लोक अदालत की भावना से न्यायालय की अनुमति से वापिस ले लिया था, परन्तु अब

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

अप्रार्थीगण द्वारा पुनः मौके पर विवाद करने की स्थिति में प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 से 21 से आपसी सहमति से राजस्व अभियान में बंटवाडा कर लेने हेतु कहा, जिस पर अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तथा अभी दिनांक 24.04.2025 को प्रार्थी हमेशा की तरह उपरोक्त वर्णित पद संख्या 01 में वर्णित अपनी खातेदारी के खेत में गया था, तब अचानक देखा कि अप्रार्थीगण एक अपरिचित व्यक्ति लेकर मौके पर आये और प्रार्थी के काबिज काश्त वाली जमीन को दिखाते हुए बेचान सौदा करने की बात कर रहे थे, तब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण तथा उस अपरिचित व्यक्ति से कहा कि उक्त जमीन को मेरे कब्जे काश्त की है तथा प्रतिरोध करते हुए प्रार्थी ने यह भी कहा कि उपरोक्त वाद–पत्र में वर्णित कृष भूमि सह खातेदारी की भूमि है एवम् उक्त भूमि का आज दिन तक कोई बंटवाडा मौखिक या लिखित रूप से निष्पादित नही हुआ है। इस कारण अप्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नही है। इस पर अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी कि हम तो इसी भूमि का बेचान करेगें तथा आपको यहां से बेदखल कर देगें। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थीगण किसी भी व्यक्ति, संस्था को न तो बेचान हस्तान्तरण करे, न ही अन्य से करवावें तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में व उपयोग व उपभोग में किसी भी प्रकार से दखलान्दाजी अप्रार्थीगण न तो स्वयं करे, न ही किसी अन्य से करावें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें।

2. प्रार्थना पत्र कार्यालय समय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.05.2025 को जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता हरिसिंह राजपुरोहित द्वारा वकालतनामो व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी.पी.सी मय जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 6 से 8 की ओर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया।

3. अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 143 रकबा 3.2699 हैक्टेयर मौजा ग्राम कांकाणी को वादीगण द्वारा गलत व असत्य रूप से वादग्रस्त जायदाद बताया हैं। यह गलत एव असत्य है कि उक्त कृषि मे से प्रार्थी का 1/5 स्वयं का हिस्सा हो तथा प्रार्थी की माता के देहान्त से 1/8 हिस्सा प्राप्त हुआ हो। सही तथ्य इस प्रकार है कि उक्त कृषि भुमि मे स्व. मोडाराम की वन्शावली अनुसार वादी का मात्र 1/7 (एक बटटा सात) हिस्सा निहित है चुकि स्व. मोडाराम जी एव उनकी पत्नी श्रीमती गवरी के देहान्त के पश्चात उनके पिछे 07 (सात) प्रथम श्रेणी के विधिक उतराधिकारी मदनलाल (प्रार्थी), पेमाराम, ढलाराम, परसाराम, चंदा, गीता व फुसी जिसमे से पेमाराम, परसाराम, गीता एव फुसी का देहान्त हो गया है। कालांतर में गीता के वारीसान, फुसी के वारीसान एव ढलाराम, चंदा द्वारा उक्त कृषि भुमि से अपना हक–हिस्सा जवाबदेहिन्दा अप्रार्थीगण को जरीये पंजीबद्ध हकतर्कनामा के द्वारा हकतर्क कर दिया गया है इस कारण उक्त कृषि भुमि खसरा स० 143 मे जवाबदेहिन्दा अप्रार्थीगण का हिस्सा निहित है तथा इसी अनुसार अप्रार्थीगण बंटवारे के अधिकारी है। उक्त शामलाति कृषि भुमि मे जवाबदेहिन्दा अप्रार्थीगण के आवास पैतृक समय से स्थित है। जवाबदेहिन्दा अप्रार्थीगण के नाम बिजली कनेक्शन लिया हुआ है तथा पशुओ के बाडे एवं टांके इत्यादि जवाबदेहिन्दा अप्रार्थीगण के स्थित है। प्रार्थी द्वारा अपना हिस्सा इस कारण से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वादीगण द्वारा पूर्व मे एक वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतू प्रस्तुत किया गया जो कि विचाराधीन है तथा उक्त वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र (19/2023) पेश किया गया था जिसे श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 26.10.2023 को खारीज कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य को छिपाते हुऐ वर्तमान प्रार्थना पत्र बिल्कुल ही निराधार एवं मनमकसुद के पेश किया गया है जो नाजायज फायदा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

उठाने एवं अपना निजी हित साधने एवं लाभ प्राप्त करने के लिये यह पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वादी प्रार्थी सही हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया है। इस प्रकार प्रस्तुत वर्तमान स्थगन प्रार्थना पत्र प्रारभिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का पूर्व स्थगन प्रार्थना पत्र खारीज हो गया है इस कारण वर्तमान प्रार्थना पत्र रेस ज्युडीकेटा से विधि बाधित है इस कारण प्रार्थी नया प्रार्थना पत्र पेश नही कर सकता है तथा ना ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य है। प्राथी द्वारा जानबूझकर एकतरफा बिना नोटिस के वादग्रस्त जायदाद पर स्थगन चाहा गया है जिस पर विश्वास करते हुऐ श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक–20.05.2025 को पारीत किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा अप्रर्थीगण की सुचना हैतु नोटिस ही पेश नही किये ना ही कोई नोटिस भेजने की डाक रसीदे पेश की गयी इस कारण नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र खरीज योग्य है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त जायदाद का बंटवारा करने हेतु कभी भी इनकार नहीं किया गया है बल्कि तैयार है तथा प्रार्थी द्वारा दूर्भावना पूर्वक वर्तमान प्राथना पत्र पेश किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का आदेश पारित फरमावे। पत्रावली में उपस्थित की अंतिम बहस सुनी गई।

4. हमने प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजों,. उभयपक्षकारान के जवाब का अवलोकन किया। उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थी वर्णित विवादित आराजी ग्राम निम्बला, पटवार हल्का कांकाणी तहसील लूणी के खसरा नम्बर 143 रकबा 3.2699 हैक्टेयर के रिकार्डेड खातेदारं है। प्रथम दृष्टया मामला रिकार्डेड खातेदार होने से प्रार्थी के पक्ष में होने से अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 20.05.2025 को जारी की गई। तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा लेने के पश्चात अप्रार्थीगण के नोटिस पेश नहीं किये गये/तामिल नहीं करवाए गए है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया किया ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावें। इससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का बन्टवाड़ा नही करवाकर केवल येनकेन अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है। यहां पर हम **आदेश 39 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी का उल्लेख करेंगे जिसके अनुसार प्रार्थी (वादी) को निषेधाज्ञा आदेश पारित होने के तुरंत बाद अप्रार्थीगण (प्रतिवादियों) को आवेदन, शपथपत्र, वादपत्र तथा संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां तामील कराना आवश्यक हैं। सामान्यतः ऐसा करने में प्रार्थी असफल रहता है तो नियम 3 के पालन में चूक होने पर एकपक्षीय निषेधाज्ञा निरस्त की जा सकती है।** प्रार्थी द्वारा पूर्व मे वाद के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र (19/2023) पेश किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त तथ्य को छिपाते हुऐ वर्तमान प्रार्थना पत्र पुनः प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने की संभावना नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियो में सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन उचित नही है। अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपुर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारीज योग्य है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का न्यायहित में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

(हँसमुख कुमार)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी